न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश।

प्र.क्र. .... निगरानी/2012-13

(1) अफजल खॉ (2) फजल खॉ (3) तजीम खॉ (4) कय्यूम खॉ	सर्व पुत्रगण स्व. नन्नू खॉ आ. पीर खॉ, निवासी- ग्राम कानासैया, हाल निवासी- ग्राम मकोड़िया, तह. गोहरगंज, जिला रायसेन।

...... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

(1) ईद मोहम्मद आ. कल्लू खॉ, निवासी- ग्राम कानासैया तहसील हुजूर, जिला भोपाल।

(2) सलीम खॉ आ. ईद मोहम्मद, निवासी- आनंतपुरा तहसील हुजूर, जिला भोपाल।

(3) छोटे खॉ आ. ईद मोहम्मद, निवासी- आनंतपुरा तहसील हुजूर, जिला भोपाल।

(4) वसीम आ. स्व. सईद खॉ, निवासी- आनंतपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।

(5) उवेश आ. स्व. सईद खॉ, निवासी- आनंतपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।

... प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के तहत

माननीय महोदय निवेदन है :-

1. यह कि न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा स्व. प्रेरणा से ग्राम कानासैया की भूमि वर्तमान खसरा नं. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1054, 1055 कुल रकबा 8.32 हेक्टेयर के रिकार्ड में हैरा फेरी बावत् जॉच प्रारंभ कर निगरानीकर्ता को नोटिस जारी कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया। निगरानीकर्ता की ओर से नोटिस के संबंध में मय दस्तावेज अपना पक्ष रखते हुए प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा भू-अभिलेख में हैरा फेरी कर अवैध रूप से नाम दर्ज करा लेने बावत् तथ्य प्रस्तुत कर अवैध प्रविष्टि निरस्त कराने का निवेदन किया गया जिसे बिना सुनवाई के प्र.क्र. 401/बी-121/2012-13 आदेश दिनांक 30.03.2013 से निरस्त कर दिया। इस आदेश से पीड़ित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अतः निगरानी समय सीमा में है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :-

1. यह कि ग्राम काना सैया की भूमि पुराने खसरा नं. 534, 535, 536, 537, रकवा 18.09 एकड़ में से 14.19 एकड़ एवं भूमि पुराने खसरा नं. ...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R1518-PBR/13

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	